

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठारसीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 99/2021

उनवान

1. नाथूराम,
 2. शैतान,
 3. धमेन्द्र,
 4. सुखपाल पि० सांवरा,
 5. लक्ष्मण पुत्र किशनलाल,
 6. बद्रीलाल पुत्र किशनलाल,
 7. अमरी पत्नी शुभकरण,
 8. धूकल पुत्र शुभकरण जाति जाट नि० मावशिया, नसीराबाद
- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी रामेश्वर,
 2. शंकर पुत्र रामधन,
 3. अमरी पत्नी छगना,
 4. रामप्रसाद पुत्र छगना जाति जाट नि० मावशिया, नसीराबाद,
 5. राज० सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
- अप्रार्थीगण :- 1 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन लाल गुर्जर
5 जरियें राज० पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राज० अधि० 1956


:- आदेश :-

दिनांक :- 10/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 किस्म गै.मु.चाह की आराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। तथा ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.60, 1517 रकबा 0.61 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर वर्षों से काबिज काश्त है तथा निरन्तर उपयोग-उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये पत्थरगढी करवाना चाहते हैं जिस हेतु उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर दखलदांजी कर रहे हैं व अवैध कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 गौके पर कुआ नहीं है। गौके पर मकान व बाड़े बने हुये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 के सामने

— 2


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मुख्य द्वार बंद करने के आशय से प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
के पर मात्र 1.5 बिसवा भूमि बची है, शेष आराज का बैचान प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही
क्या जा चुका है। पडौसी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी द्वारा उक्त
आराजी पर फसल काशत नहीं की जा रही है ना ही मौके पर चाह को सिंचाई के लिये कार्य
लिया जा रहा है। प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष कोई आवेदन पेश नहीं किया है। हाल
खसरा नम्बर 1515 व 1517 के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण लक्ष्मण बनाम निर्मला
व मोहनी बनाम प्रेम विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

राज. पैरोकार ने आवेदन पत्र का जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। शेष
अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण के न्यायिक निस्तारण के लिये तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब
की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन
किया ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 किस्म गै.मु चाह की आराजी
प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। तथा ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1515
रकबा 0.60, 1517 रकबा 0.61 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त
खातेदारी की है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी की सुरक्षा के लिये
पत्थरगढी करवाना चाहते हैं जिस हेतु उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण
की आराजी पर दखलदांजी कर रहे हैं व अवैध कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः हाल
खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे। प्रार्थीगण ने अपने
आवेदन पत्र के साथ सीमाज्ञान आवेदन पत्र की छाया प्रति पेश की है। किन्तु उक्त आवेदन
को तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष पेश करने के कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही यह
स्पष्ट किया है कि उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार नसीराबाद द्वारा क्या कार्यवाही की
गयी ? मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त चाह की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के बाड़े बनाये
हुये हैं तथा मौके पर चाह चालू स्थिति में नहीं है जिससे सिद्ध होता है कि वादग्रस्त सम्पदा
पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं हो कर अप्रार्थीगण का कब्जा है। भूमि कृषि व सिंचाई के कार्य
में नहीं आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु क्या
कार्यवाही की है यह भी प्रार्थीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि के सीमाज्ञान
की स्थिति स्पष्ट नहीं की है व प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा भी नहीं है। अतः प्रार्थीगण
पत्थरगढी के अधिकारी नहीं है।

अतः ग्राम मावशिया के हाल खसरा नम्बर 1516 रकबा 0.12 किस्म गै.मु चाह पर
प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद